न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़

पीठासीन अधिकारी श्रीमती अर्पिता सोनी (RAS)

राजस्व वाद सं:– 87/2015

निर्णय दिनांक:– 10.07.2019

<u>अनवान</u>

1. लेखाराम पुत्र स्व. अन्ना जाति नायक नि. ग्राम परसनेउ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू (राज.)
..........................(वादी)

बनाम

1. बुधाराम पुत्र स्व. मालूराम जाति नायक नि. ग्राम परसनेउ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू (राज.)
2. पेमाराम पुत्र स्व. मालूराम जाति नायक नि. ग्राम परसनेउ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू (राज.)
3. मिरगा पत्नी स्व. भैराराम नायक नि. ग्राम परसनेउ तहसील रतनगढ़ जिला चुरू (राज.)
4. निराणाराम
5. रामूराम
6. सुगनाराम
7. जगदीश
8. चन्द्राराम

} पत्रगण स्व. भैराराम नायक नि. ग्राम परसनेउ तहसील रतनगढ़ जिला चुरु (राज.)

9. जैता पत्नी स्व. चुनाराम
10. श्रवणराम पुत्र स्व. चुनाराम
11. रामकुमार पुत्र स्व. चुनाराम
12. शांती पुत्री स्व. चुनाराम
13. परमेश्वरी पुत्री स्व. चुनाराम
14. इमली पुत्री स्व. बीदाराम
15. मूलकी पुत्री स्व. बीदाराम
16. कोणती पुत्री स्व. बीदाराम

} तमाम जाति नायक निवासीगण ग्राम परसनेउ तहसील रतगनढ़ जिला चूरू (राज.)

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक रतनगढ़ जिला चूरू
.... प्रतिवादीगण

18. सुगना
19. बाला
20. नारायणी

} पुत्रियां स्व. मालाराम जाति नायक निवासीगण ग्राम परसनेउ तहसील रतगनढ़ जिला चूरू (राज.)

21. विक्तारामद पुत्र स्व. सारा पुत्री अन्ना
22. सोहनराम पुत्र स्व. सारा पुत्री अन्ना
23. धापू पुत्री स्व. सारा पुत्री अन्ना
24. बल्लू पुत्री स्व. सारा पुत्री अन्ना
25. गौरा पुत्री स्व. सारा पुत्री अन्ना
26. कालू पुत्र स्व. सारा मुत्री अन्ना

} तमाम कौम नायक निवासीगण ग्राम परसनेउ तहसील रतगनढ़ जिला चूरू (राज.)

27. शंकर पुत्र स्व. सारा पुत्री अन्ना
.... गौण प्रतिवादीगण

अर्पिता
उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (जिला चूरू) राज.

उपस्थित

1. दीवान सिंह एडवोकेट
2. संजय कटारिया एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीएक्ट 136 एलआरएक्ट

निर्णय

वकील वादी की ओर से दावा खसरा नं 504 तादादी 33 बीघा 17 बिश्वा रोही ग्राम परसनेउ व खसरा नं 527 तादादी 72 बीघ 10 बिश्वा रोही ग्राम परसनेउ के रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन का पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाव दावा क्रॉस सूट पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 रामूराम की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 14 क सठित धारा 151 जाब्ता दीवानी व धारा 151 के दिनांक 07.10.2015 को पेश किये गये एवं आदेश 7 नियम 11 धारा 151 का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.2015 को पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्रों का जवाब वकील वादी की ओर से पेश नहीं हुआ है। एवं वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा क्रास सूट पर सुनवाई हेतु श्री रामचन्द्र ज्याणी एडवोकेट को आवाजें लगाई। उपस्थित नहीं आयें। इसलिए प्रस्तुत जवाब दावा क्रॉस सूट खारिज किया जाता है।

बहस सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि खसना नं 504 व 527 रोही परसनेउ के रिकार्ड दुरूस्ती व खाता विभाजन का दावा पेश किया है। एवं वादी 1/3 हिस्से का खातेदारी का अधिकारी है और स्थिति साक्ष्य पर तय होनी है। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि दावा तथ्य छुपाकर न्यायालय को भ्रमित करने के लिए किया गया है खसरा नं 527 के संबंध में किया गया ये दावा गलत है इसलिए 1000/– रूपये की कॉस्ट पर ये दावा खारिज किया जावे। एवं वादी की ओर से एक नया दावा खसना नं 504 का अनवान लेखराम बनाम बुधाराम पेश कर दिया है जो न्यायालय में चल रहा है। एवं वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वादी लेखराम अन्नाराम के वारिस है जिसका संबंध खसरा नं 504 का रोही परसनेउ से है। खसरा नं 527 रोही परसनेउ के संबंध में प्रार्थना पत्र में जवाब परिशिष्ट क अनुसार होना बताया है। प्रार्थना पत्र के जवाब परिशिष्ट क के अनुसार खसरा नं 527 के बिंदा पुत्र सरदाराराम व उसके वारिसान खातेदार हैं एवं वादी अन्ना के पुत्र कहकर आया है जबकि अन्ना के नाम से पेशशुदा जमाबंदी संवत 2011 में उसकी भूमि पुराना खसरा नं 300 तादादी 33 बीघा 17 बिश्वा रही है। जिसके नये खसरा नं 504 बना हुआ है। अतः वादी का 527 नं खसरा पर कोई संबंध नहीं है एवं न इनके वारिस का कोई संबंध हैं। न इनकी पैतृक संपति रही है। इसलिए दावा खारिज किया जावे।
बहस सुनने के बाद एवं पत्रालवी के अवलोकन एव दस्तावेजों के अवलोकन के बाद पाया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दावा मुकदमा नं. 202/2018 अनवान लेखराम बनाम बुधराम पत्रावली का अवलोकन किया गया जो खसरा नं 504 रोही ग्राम परसनेउ के रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का दावा वादी द्वारा पेश किया गया है जो इस दावे क बाद वर्ष 2018 में पेश किया गया हैं। उक्त दावा केवल खसरा नं 504 का पेश किया गया है। दावा मुकदमा नं. 87/2015 लेखराम बनाम बुधराम खसरा नं 527, 504 रोही परसनेउ का पेश किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी ने ये दावा गलत पेश किया है। इसलिए नया दूसरा दावा पेश किया है। एवं खसरा नं 527 के रिकार्ड के आधार पर वादी एवं इनके वारिसान व इनकी पैतृक संपति साबित नहीं होने से एवं दावा तथ्य छुपाकर गलत पेश किये जाने से दावा खारिज योग्य पाया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा खारिज किया जाता है। वकील वादी ने दावा तथ्य छुपाकर गलत पेश किया है। इसलिए वकील वादी श्री दीवानसिंह प्रतिवादी संख्या 5 के वकील श्री संजय कटारिया को 1000/– रूपये कॉस्ट के अदा करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (जिला चूरू) राज०

डिकरी व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज़ अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम रतनगढ़

इजलास श्रीमति [illegible] RAS

लोकाराम बनाम सुखाराम वगैरह

दावा बाबत धारा 53, 88 [illegible] 131 [illegible]

मुकदमा नं. 87 सन् 2015

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय

व हाजरी श्री किशनसिंह [illegible] मिनजानिब मुद्दई व श्री [illegible] कटारिया, [illegible] कटारिया मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा खारिज किया जाता है वकील वादी ने दावा [illegible] पेश किया है इसलिए वकील वादी [illegible] प्रतिवादी [illegible] वकील श्री [illegible] कटारिया को 1000 रु कोस्ट के अदा करें।

निज .... मुबालिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 7 20 2019

को जारी की गई

मुहर

[stamp: उप खण्ड अधिकारी रतनगढ़ (चूरू) राज०]

दस्तखत [signature] उप खण्ड अधिकारी

ओहदा रतनगढ़ (चूरू)

मुद्दई		रुपया	पै.	मुद्दायलह		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....				....		
मीज़ान	....			मीज़ान	....		

नोट— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।